

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 18 जुलाई, 2020 ई० (आषाढ़ 27, 1942 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-2

अधिसृचना

26 मार्च, 2020 ई0

सं0 225 / छ:पु0से0-2-20-522(12) / 2020—िनजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2005) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों के लिये निजी सुरक्षा अभिकरणों द्वारा सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने की रीति का विनियमन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात्—

उत्तर प्रदेश निजी सुरक्षा अभिकरण (रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों के लिये निजी सुरक्षा) नियमावली, 2020

1—**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश निजी सुरक्षा अभिकरण (रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों के लिये निजी सुरक्षा) नियमावली, 2020 **कही** जायेगी।

- (2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
- 2-परिभाषायें-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-
- (क) "अधिनियम" का तात्पर्य निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2005) से है ;
- (ख) "एटीएम" का तात्पर्य स्वचालित गणक मशीन से है जो रोकड़ का वितरण करती है या तब अन्य बैंककारी सेवायें करती हैं जब किसी बैंक का कोई खाता धारक उसमें बैंक कार्ड डालता है ;

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये "बैंक कार्ड" में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड सम्मिलित है :

- (ग) "रोकड़ प्रबंधन अभिकरण", "रोकड़ पुनः पूर्ति अभिकरण" या "वाहन में रोकड़ अभिकरण" का तात्पर्य किसी अभिकरण या इकाई से है, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो जो रोकड़ परिवहन-क्रियाकलापों में लगी हुई है ;
- (घ) "रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों" का तात्पर्य रोकड़ यथा बैंक नोट, सिक्के, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अन्य मूल्यवान मदों का एक स्थान से दूसरे स्थान को भौतिक अंतरण से है जिसके अन्तर्गत किसी एटीएम मशीन में रोकड़ डालना या उससे रोकड़ निकालना है ;
- (ङ) "निजी सुरक्षा" या निजी सुरक्षा अभिकरण" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) या खण्ड (छ) में उसके लिये समनुदेशित है ;
 - (च) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है।
- 3—रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों, आदि के लिये निजी सुरक्षा—(1) रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों के लिये तब तक निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी जब तक कि वह उक्त अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति धारण न करता हो।
 - (2) रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों के लिये निजी सुरक्षा उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित के मध्य कोई संविदा की जा सकती है—
 - (क) किसी निजी सुरक्षा अभिकरण, जिसके पास उक्त अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति है और संबंधित बैंक, या
 - (ख) रोकड़ प्रबंधन अभिकरण और संबंधित बैंक :

परन्तु यह कि रोकड़ प्रबंधन अभिकरण के पास अधिनियम के उपबंधों के अधीन निजी सुरक्षा अभिकरण के रूप में अनुज़प्ति है तो ऐसा रोकड़ प्रबंधन अभिकरण स्वयं इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों के लिये निजी सुरक्षा उपलब्ध करा सकता है।

- 4—विशेष रूप से डिजाइन की गयी और तैयार की गयी रोकड़ वैन का उपयोग—(1) कोई निजी सुरक्षा अभिकरण किसी बैंक को या किसी रोकड़ प्रबंधन अभिकरण को रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों के लिये तब तक निजी सुरक्षा या निजी सुरक्षागार्ड उपलब्ध नहीं करायेगा जब तक ऐसे क्रियाकलाप सुरक्षित रोकड़ वैन में, जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट डिजाइन और विशिष्टियों की शर्तों के अनुरूप हो जो यथास्थिति, उसके या बैंक के या रोकड़ प्रबंधन अभिकरण के स्वामित्व में हो, नहीं किये जाते हैं।
- (2) निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों के लिये किसी टैक्सी या किराये पर लिये गये यान का उपयोग नहीं किया जायेगा—

परन्तु यह कि कोई यान, जो निजी सुरक्षा अभिकरण या बैंक या रोकड़ प्रबंधन अभिकरण के पास दीर्घ कालिक संविदा पर हो और जो उपनियम (1) के अधीन अधिकथित डिजाइन और विशिष्टियों की शर्तों का अनुपालन करता हो, का निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा उपयोग किया जा सकता है ;

परन्तु यह और कि किसी सुदूर अवस्थिति की दशा में जहां निजी सुरक्षा अभिकरण विद्यमान न हो और किसी करेंसी तिजोरी द्वारा जहां पर सेवायें नहीं दी जाती हों, ऐसे स्थान पर स्थानीय पुलिस के कठोर सुरक्षा नियंत्रण और सहायता के अधीन अपवाद स्वरूप किसी यान का उपयोग किया जा सकता है।

5-प्रित रोकड़ वैन के लिये अपेक्षित प्रशिक्षित कर्मचारिवृंद की संख्या—(1) निजी सुरक्षा अभिकरण, रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों के लिये निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा प्रत्यक्षतः नियुक्त या नियोजित अपेक्षित संख्या में, उपनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट प्रशिक्षित कर्मचारिवृंद निजी सुरक्षा के लिये उपलब्ध करायेगः।

(2) प्रत्येक रोकड़ वैन में प्रत्येक एकल रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों के लिये निम्नलिखित न्यूनतम कर्मचारिवृंद होंगे जिनके पास अधिनियम की धारा 10 के अधीन अधिकथित अर्हतायें और प्रशिक्षण होगा, अर्थात्—

[एक] चालक-एक

[दो] सशस्त्र सुरक्षा गार्ड-दो, और

[तीन] एटीएम अधिकारी या अभिरक्षक-दो

(3) रोकड़ वैन की हर समय कम से कम दो प्रशिक्षित सशस्त्र सुरक्षा गार्डों द्वारा अभिरक्षा की जायेगी—

परन्तु यह कि वहन की जा रही रोकड़ की रकम पर निर्भर करते हुये व्यष्टिक कम्पनी के बीमा मार्गदर्शक सिद्धान्तों या ग्राहक संविदा या प्रचालन किये जा रहे स्थान के अनुसार किसी रोकड़ वैन में दो से अधिक सशस्त्र सुरक्षा गार्डों को तैनात किया जा सकता है।

- (4) जहां रोकड़ वैन मध्यम मोटरयान हो, वहन के दौरान चालक के साथ आगे एक सशस्त्र गार्ड बैठेगा और दूसरा वैन के पिछले भाग में बैठेगा, लादने या उतारने, शौच, चाय-पान या भोजनावकाश के दौरान कम से कम एक सशस्त्र सुरक्षा गार्ड सभी समय पर रोकड़ वैन में उपस्थित रहेगा।
- (5) इस नियमावली में किसी अन्य उपबन्ध के होते हुये भी अन्यथा पात्र भूतपूर्व सैनिक को रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों के लिये सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा नियुक्त करने या नियोजित करने में अधिमान प्रदान किया जायेगा।
- 6-कार्मिकों के पूर्ववृत की जांच-(1) कोई निजी सुरक्षा अभिकरण, रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों के लिये किसी कार्मिक को तब तक नियुक्त नहीं करेगा या तब तक नहीं लगायेगा जब तक इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अनुसार अभिकरण द्वारा उन्हें नियुक्त करने या लगाने या अभिनियोजित करने से पूर्व ऐसे कार्मिकों के पूर्ववृत्त की पूर्ण जांच और उसका उचित के वाई सी सत्यापन तथा पुलिस सल्यापन न कर लिया जाय।

स्पष्टीकरण–इस उपनियम के प्रयोजनों के लिये पद "अपने ग्राहक को जानिये" (के वाई सी) का तात्पर्य अभिकरण या कराबार से सहयोजित या सहयोजित किये जाने वाले उसके ग्राहकों या व्यक्तियों की पहचान और सत्यापन करने वाले किसी अभिकरण या कारबार की "अपने ग्राहक को जानिये" प्रक्रिया से है।

- (2) प्रत्येक निजी सुरक्षा अभिकरण रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों में भाग लेने हेतु किसी व्यक्ति को नियुक्त करने या लगाये जाने से पूर्व निम्नलिखित जांचों का अनुपालन करने के लिये उत्तरदायी होगा, अर्थात्—
 - (क) पुलिस अनापित प्रमाण-पत्र—प्रत्येक व्यक्ति नियुक्ति किये जाने या लगाये जाने से पूर्व अपने स्थानीय पुलिस थाना से पुलिस अनापित्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा ;
 - (ख) निवास स्थान सत्यापन—निजी सुरक्षा अभिकरण, प्रत्येक व्यक्ति के आवासीय पते का भौतिक सत्यापन, जिसके अन्तर्गत आचरण की सामान्य जांच सिम्मिलित है, अपने स्वयं के संसाधनों का प्रयोग करते हुगे करेगा और उक्त व्यक्ति रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों के लिये नियुक्त होने या लगाये जाने से पूर्व कम से कम तीन वर्ष के आवासीय पते का प्रमाण सुरक्षा अभिकरण को उपलब्ध करायेगा ;
 - (ग) पूर्व नियोजक की जांच-निजी सुरक्षा अभिकरण, व्यक्ति के पूर्व नियोजकों की संदर्भ सहित जांच अपने स्वयं के संसाधनों का प्रयोग करते हुये करेगा ;
 - (घ) आधार का सत्यापन-रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों के लिये नियुक्त किये गये या लगाये गये प्रत्येक व्यक्ति के पूर्ववृत्त का सत्यापन, भारत के विशिष्ट पहचान अधिकरण से आधार नम्बर के माध्यम से किया जायेगा :
 - (ङ) प्रत्यय इतहास की जांच-निजी सुरक्षा अभिकरण नियुक्त किये गये या लगाये गये प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्यय इतिहास की जांच, यह सुनिश्चित करने के लिये कि रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों के लिये जानबूझ कर प्रत्यय व्यतिक्रम करने वाले न नियुक्त किये जाय या न लगाये जाय ;
 - (च) विश्वसनीयता बीमा–निजी सुरक्षा अभिकरण रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों के लिये नियुक्त किये गये या लगाये गये प्रत्येक कार्मिक के सम्बन्ध में विश्वसनीयता बीमा अभिप्राप्त करेगा।
- 7—कार्मिकों का पर्याप्त प्रशिक्षण और प्रमाणन—निजी सुरक्षा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों के लिये नियुक्त किये गये या लगाये गये प्रत्येक कार्मिक को—
 - (क) द्वितीय अनुसूची में अधिकथित प्रशिक्षण की अपेक्षाओं के अनुसार ऐसे क्रियाकलापों की सुरक्षा और सुरक्षित प्रबंध के लिये प्रशिक्षण और प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा; और
 - (ख) प्रत्येक दो वर्षों में एक बार पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा |

8—प्रचालन के दौरान रोकड़ वैन की सजीव जीपीएस खोज—(1) प्रत्येक रोकड़ परिवहन क्रियाकलाप ऐसी सुरक्षित रोकड़ वैनों में किया जायेगा जिनमें जीपीएस खोज युक्ति लगी हो।

स्पष्टीकरण—इस उप नियम के प्रयोजनों के लिये पद, जीपीएस का तात्पर्य ऐसी वैश्विक स्थिति प्रणाली से है जो ऐसी अन्तरिक्ष आधारित नेवीगेशन प्रणाली है जो सभी मौसम की दशा में अवस्थिति और समय की सूचना पृथ्वी पर कहीं भी या उसके निकट वहां उपलब्ध कराती है, जहां चार या उससे अधिक जीपीएस उपग्रहों की दृष्टि की अवरुद्ध पंक्ति हो।

- (2) िनजी सुरक्षा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक रोकड़ वैन का अनुश्रवण हर समय परिपूर्ण संचार नवाचार के माध्यम से रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों के दौरान किया जायेगा।
- 9-एकल रोकड़ वैन में अधिकतम रोकड़ ले जाने की सीमा के लिये मार्ग-दर्शक सिद्धान्त—(1) रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों में संलग्न निजी सुरक्षा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि कोई रोकड़ वैन प्रति दौरे पर पांच करोड़ रुपये से अधिक का रोकड़ नहीं ले जायेगी।
- (2) निजी सुरक्षा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्रति दौरे पर दस लाख रुपये से अधिक रोकड़ ले जाने के लिये सुरक्षित रोकड़ वैन अभिनियोजित की जायेगी।
- 10—बैंक करेंसी के रखे जाने तथा रात भर उसे अंतः कक्ष में रखने के लिये प्रयोग किये गये निजी रोकड़ अंतः कक्ष के लिये विनिदेश—निजी सुरक्षा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि सभी रोकड़ प्रबंधन, जिसके अन्तर्गत गणना, छंटाई और बण्डल बांधने संबंधी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं, निम्निलिखित मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अनुसार सुरक्षित परिसरों में किया जायेगा, अर्थात्—
 - (क) निजी रोकड़ अंतःकक्ष परिसरों की अवस्थिति—रोकड़ प्रबंधन क्रियाकलापों के लिये उपयोग किये गये परिसर इस तरह से अवस्थित हों जिससे कि क्रियाकलापों / संक्रियाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, जिनके अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र सम्मिलित हों जो बैंक के रोकड़ निकासी केन्द्र या पुलिस थाना के समीपस्थ हों और इनमें ऐसे एकांत क्षेत्र सम्मिलित हें जिनकी अल्प संयोजकता से बचा जा सके;
 - (ख) परिसरों का डिजाइन—परिसरों को इस तरह से डिजाइन किया जायेगा कि उनमें दो भौतिक रूप से स्वतंत्र क्षेत्र होंगे जिनमें से एक साधारण कार्यालय प्रयोजन के लिये और दूसरा सुरक्षित रोकड़ प्रक्रिया एवं प्रबंधन क्रियाकलापों को सम्मिलित करने के लिये होगा और उसके अन्दर सुरक्षित रोकड़ वैनों पर रोकड़ जमा, संग्रहण, छंटाई, गणना और रोकड़ का परिदान करने और प्रेषण के लिये स्थान होगा;
 - (ग) रोकड़ अंतःकक्ष-निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार रोकड़ अंतःकक्षों के लिये भारतीय रिजर्व बैंक की विनिर्दिष्ट अपेक्षा को पूरा करने हेतु रोकड़ भण्डारण के लिये सुरक्षित क्षेत्र डिजाइन किया जायेगा, अर्थात्-

[एक] ऐसे छोटे शहरों में, जिनकी दस करोड़ रुपये से कम की सीमित रातभर अंतःकक्ष की आवश्यकता है, उनमें रक्षक अलमारी वाली तिजोरी हो ;

[दो] ऐसे प्रचालन केन्द्रों पर जिनमें दस से एक सौ करोड़ रुपये तक की रातभर अंतःकक्ष की आवश्यकता है, उनमें 'ग' श्रेणी अंतःकक्षों के लिये विनिर्दिष्ट भारतीय रिजर्व बैंक के संनियमों के अनुसार अंतःकक्ष सुविधा हो ;

[तीन] ऐसे वृहद प्रचालन केन्द्रों पर जहां एक सौ करोड़ रुपये से अधिक रात भर अंतःकक्ष की आवश्यकता है, उन पर संबंधित बैंक के परामर्श से वर्धित अंतःकक्ष सुविधा हो; और

[चार] सभी रातभर अंतःकक्ष सुविधाओं में पृथक् और अनन्य पात्रों में बहु बैंकों की करेंसी को भंडारित करने की व्यवस्था हो ;

(घ) रोकड़ अंतःकक्षों की सुरक्षा—निजी सुरक्षा अभिकरण, बैंक की ओर से रोकड़ के सुरक्षित प्रबंधन के लिये प्रयोग किये गये उसके रोकड़ अतःकक्ष में निम्नलिखित सुरक्षा पहलुओं को सुनिश्चित करेगा, अर्थात्—

[एक] पर्याप्त संख्या में सशस्त्र निजी सुरक्षा गार्ड चौबीस घंटे तैनात हों ;

[दो] परिसर 24 x 7 इलेक्ट्रानिक निगरानी और अनुश्रवण के अधीन हों ;

[तीन] रोकड़ अंतःकक्ष में पर्याप्त संख्या में कैमरों के साथ सीसीटीवी प्रणाली लगी हुई हों जिसमें कम से कम 90 दिन रिकार्ड करने की सुविधा हो ;

[चार] रोकड़ अंतःकक्ष में क्रियाकलाप, दोहरी अभिरक्षा आधार के अधीन हो ;

[पांच] मुख्य रोकड़ अंतःकक्ष क्षेत्र सभी सुरक्षा सिन्नियमों यथा अग्निशमन प्रणाली, धूम्र खोज प्रणाली, आपात लाईट, यानों के संचालन को निगरानी करने के लिये नियंत्रण कक्ष, स्व-डायलकर्ता और चोरी सुरक्षा प्रणाली का अनुपालन करता हो ;

[छः] जी०एस०एम० आधारित स्व-डायलकर्ता, अग्नि और मैग्नेटिक सैंसर वाले सुरक्षा अलार्म संस्थापित किये गये हों ;

[सात] रोकड़ की लदाई और उतराई क्षेत्र, रात्रि दृष्टि सीसीटीवी कैमरों द्वारा आच्छादित हों ;

[आठ] रोकड़ अंतःकक्ष के भीतर इलेक्ट्रिक विद्युत प्रदाय प्लग इन और प्लग आउट सिस्टम के माध्यम से लगाया गया हो ;

[नौ] रोकड़ अंतःकक्ष के भीतर अनावृत्त लाईट ले जाना पूर्णतया प्रतिषिद्ध हो और शुष्क बैटरी प्रचारित टार्च या आपात लाईट, तिजोरी के अन्दर प्रयोग की जाती हो :

[दस] इन्वर्टर की सहायता से आपात प्रकाशक सुरक्षा कर्मचारिवृंद को सदैव उपलब्ध हो ;

[ग्यारह] रोकड़ प्रसंस्करण और अंतःकक्ष क्षेत्रों की अधिमानतः इंटरलाकिंग प्रणालियों और फ्रिस्किंग के माध्यम से निर्बाधित और नियंत्रित पहुंच हो ;

स्पष्टीकर-इस नियम के प्रयोजन के लिये पद "सीसीटीवी" का तात्पर्य ऐसे बन्द परिपथ वाले टेलीविजन से है जो भण्डार या कम्पनी में कार्य-कलापों का अनुश्रवण करने के लिये कैमरों, रिकार्डरों और डिस्पले से मिलकर बने स्वतः पूर्ण निगरानी प्रणाली है।

- 11—जोखिम न्यूनीकरण के लिये उपाय—(1) निजी सुरक्षा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी सुरक्षा के अधीन एटीएम में कर्मीदल उठाईगिरी हानि तथा एटीएम कपट की घटनाओं को कम करने के लिये एक बारगी इलेक्ट्रानिक संयोजन ताले लगे होंगे।
- (2) किसी एटीएम मशीन में रोकड़ भरण के लिये पूर्ववर्ती दिवस में या पूर्वाह्न में बैंक से संग्रहण होगा ताकि उपनियम (3) में नियत समय से पूर्व प्रचालन समाप्त हो सके।
 - (3) एटीएम रोकड़ भरने या रोकड़ परिवहन क्रियाकलाप-
 - [क] नगरीय क्षेत्रों में अपराह्न 9 बजे के पश्चात्
 - [ख] ग्रामीण क्षेत्रों में अपराह्न 6 बजे के पश्चात् और
 - [ग] वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित जिलों में पूर्वाह्न 9 बजे के पूर्व या अपराह्न 4 बजे के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

प्रथम अनुसूची

[नियम 4 (1) देखिये]

सुरक्षित रोकड़ वैनों के लिये डिजाइन और विशिष्टता

मेक (क) रोकड़ वैन-

[एक] कम से कम 2200 सीसी क्षमता वाले इंजन के साथ, अधिमानतः टर्बोचार्जित, हल्का वाणिज्यिक यान होगी ;

[दो] 7 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी ;

[तीन] में ट्यूबरहित टायर लगे होंगे ;

[चार] में कम से कम 190 मि0मी0 भू-अंतस्थान होगा; और

[पांच] में न्यूनतम पांच यात्रियों की जगह होगी :

अभिविन्यास—

(ख) रोकड़ वैन में रोकड़ भंडारण के लिये यात्री कंपार्टमेंट यूनिट से वस्तुतः पृथकतः और बंद कंपार्टमेंट होगा;

रोकड़ कपार्टमेंट सुरक्षा-

(ग) (एक) रोकड़ कंपार्टमेंट, वैन के बाहरी भाग से तब तक पहुंच से बाहर होना चाहिये जब तक आंतरिक रूप से हस्तचालित या इलेक्ट्रानिक ताले के माध्यम से प्रचलित न किया जाये और रोकड़ वैन में केवल एक द्वार तथा जाली का फाटक विशेष रूप से स्टील के साथ प्रबलित रूप से लगा हो ;

(दो) रोकड़ कंपार्टमेंट का प्रवेश पीछे की ओर से होगा जिससे उचित दृश्यमानता, संक्रियात्मक साध्यता और

सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित की जा सके ;

(तीन) सभी खिड़िकयां और हवा रोक शीशे अनिधिक एक वर्ग इंच के तार की जाली से बने होंगे और प्रत्येक खिड़की की जाली में शस्त्रों के प्रयोग के लिये छह इंच व्यास का एक चक्रीय छिद्र होगा।

(चार) हूटर बजाने के लिये संकट बटन ड्राइवर और अन्य अभिधारकों के पास उपलब्ध हैं।

रोकड़ बाक्स सुरक्षा—(घ) प्रत्येक रोकड़ बक्सा, तल पर पृथक् जंजीरों और तालों से सुरक्षित किया जायेगा जो विभिन्न अभिरक्षकों के पास रखी हुई अलग-अलग चाबियों के प्रयोग से खोला और बंद किया जा सके और प्रत्येक बैंक के लिये रोकड़, अधिमानतः किसी अलग बक्से में जिस पर उस बैंक का नाम लिखा हो, ले जाया जायेगा।

अन्य सुरक्षा विशिष्टताएं-

- (ङ) (एक) रोकड़ वैन में एक छोटा सीसीटीवी सिस्टम लगा होगा जिसमें कम से कम पांच दिन की रिकार्डिंग करने की सुविधा हो, और तीन कैमरे केबिन के आगे, पीछे और भीतर लगे हुये हों।
 - (दो) जीएसएम आधारित स्व-डायलकर्ता सुरक्षा अलार्म में मोटरचालित सायरन लगा होगा।

(तीन) रोकड़ वैन में, किसी आक्रमण की दशा में, त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये भोंपू, अग्निशमन यंत्र और आपात लाइटें लगी होंगी।

द्वितीय अनुसूची [नियम 7 (1) (क) देखिये]

रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों में नियुक्त या लगे हुये कार्मिकों के लिये प्रशिक्षण

(क) रोकड़ संभालने और रोकड़ परिवहन क्रियांकलापों की जानकारी-

[एक] सेवा का क्षेत्र ;

[दो] दल संरचना ;

[तीन] चालक, सशस्त्र गार्ड, रोकड़ अभिरक्षक की भूमिका ;

[चार] रोकड़ वैनों की कार्यप्रणाली ;

[पांच] सम्बद्ध अभिकरणों के संपर्क ब्यौरे ;

[छः] धमकी और अंतवर्लित जोखिम ;

[सात] रिपोर्ट करने की प्रक्रिया ;

(ख) धमकी और जोखिम-

[एक] आपराधिक और बदमाश गतिविधियां

[दो] यान रखने वाले अपराधियों द्वारा पीछा किया जाना

[तीन] स्थैतिक और गतिमान यान को विनिर्दिष्ट धमिकयां

[चार] आंतरिक धमकी

[पांच] दल सदस्यों द्वारा कपटपूर्ण व्यवहार

[छः] जीवन हानि तथा आपात

[सात] सड़क दुर्घटना और यान की खराबी

[आठ] अग्नि दुर्घटना

(ग) रोकड़ वैन की रक्षा और सुरक्षा—

[एक] रोकड़ और मूल्यमान वस्तुओं को ले जाने वाली रोकड़ वैन की अंतस्थ सुरक्षा विशिष्टतायें

[दो] रोकड़ और मूल्यवान वस्तुओं को ले जाने के लिये रोकड़ बाक्स

[तीन] तालाबंद करना और सुरक्षा पद्धति

[चार] शस्त्र और गोला बारूद

[पांच] संसूचना उपस्कर

[छः] ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम

[सात] अग्निशमन यंत्र

[आठ] संकट अलार्म

[नौ] प्राथमिक उपचार किट

(घ) अभिकरण-

[एक] निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2005) के अधीन नियंत्रण प्राधिकारी

[दो] पुलिस थाना, पीसीआर वैन, पुलिस दूरभाष सहायता

[तीन] नियंत्रणकारी पर्यवेक्षक और प्रचालन प्रबंधक

[चार] संबद्ध बैंक का प्रतिनिधि

[पांच] एम्बूलेंस और अस्पताल सेवायें

(ङ) शस्त्र, गोला बारूद और दस्तावेज-

[एक] गार्डों को न्यूनतम 12 बोर डीबीबीएल शॉटगन बंदूक उपलब्ध कराई जानी चाहिये। बंदूक का दो वर्ष में कम से कम एक बार फायर का परीक्षण होना चाहिये। बंदूक के कारतूस दो वर्ष में एक बार बदले जाने चाहिये। बंदूक की सरकार से अनुमोदित शस्त्रशाला द्वारा जांच करके प्रमाणित कराई जानी चाहिये।

[दो] दस्तावेज—बंदूक अनुज्ञप्ति, पहचान-पत्र और प्राधिकारियों द्वारा अधिरोपित निर्बंधनों के दौरान शस्त्र ले जाने की अनुज्ञा।

[तीन] बदमाशों द्वारा ले जाये जाने वाले वास्तविक शस्त्र।

[चार] अन्य वस्तुयें, जो बदमाशों द्वारा शस्त्र के रूप में प्रयोग की जा सकें।

(च) आपात और घटना प्रतिक्रिया—

[एक] संकट चेतावनी प्रक्रिया

[दो] संबद्ध अभिकरणों से सहायता वांछा करना

[तीन] अपराधियों और बदमाशों को भय दिखाकर रोकने और मुकाबला करने के लिये शस्त्र का प्रयोग

[चार] दल सदस्यों और प्रेषण की सुरक्षा सुनिश्चित करना

[पांच] स्थिति से मुकाबला करना और यान को सुरक्षित जगह की ओर ले जाना

[छ:] घायलों को निकालना।

(छ) अन्य आंतरिक संगठनात्मक प्रक्रिया–

[एक] पूर्ववृत की जांच प्रक्रिया

[दो] भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1925) और प्रसुविधायें

[तीन] न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1948) और प्रसुविधायें

[चार] कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 34 सन् 1948) और प्रसुविधायें

[पांच] छुट्टी हकदारी और आवेदन प्रक्रिया

[छः] अन्य कंपनी नियम

[सात] कर्मचारी के रूप में बाध्यता।

आज्ञा से, अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र0 शासन। In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 225/6-PS-2-20-522(12)/2020, dated March 26, 2020:

No. 225/6-PS-2-20-522(12)/2020

Lucknow: Dated March 26, 2020 NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section-25 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Act. no. 29 of 2005), the Governor is pleased to make the following rules, with a view to regulating the manner of providing security by the private security agencies to cash transportation activities, namely:

THE UTTAR PRADESH PRIVATE SECURITY AGENCIES (PRIVATE SECURITY TO CASH TRANSPORTATION ACTIVITIES) RULES, 2020.

- 1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Private Security Agencies (Private Security to Cash Transportation Activities) Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.
 - 2. Definition--In these rules, unless the context otherwise requires.
 - (a) "Act" means the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Act. no. 29 of 2005);
 - (b) "ATM" means the automatic teller machine that dispenses cash or performs other banking services when an account holder of any bank inserts a Bank card therein.

Explanation →

For the purposes of this clause, "Bank card" includes credit card or debit card;

- (c) "Cash handling agency" "Cash replenishment agency" or 'cash-in-transit agency" means and agency or entity, by whatever name called, engaged in cash transportation activities;
- (d) "Cash transportation activities" means the physical transfer of cash, such as bank notes, coins, credit card, debit card or other items of value from one location to another, and includes loading cash to in, or unloading cash from and ATM machine,
- (e) "Private security" or "Private security Agency" shall have the same meaning as assigned to it in clause (f) or clause (g) of section 2 of the Act,
 - (f) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.
- 3. Private Security for cash transportation activities etc.—(1) No private security shall be provided by the private security agency for cast transportation activities unless he holds a license under the Act.
 - (2) For the purpose of providing private security for cash transportation activities, a contract may be entered into between,
 - (a) a private security agency holding a license under the Act and the bank concerned, or
 - (b) a cash handling agency and the bank concerned:

Provided that in case the cash handling agency holds a license as a private security agency under the provisions of the Act, such cash handling agency may itself provide the private security to cash transportation activities in accordance with the provisions of these rules.

4. Use of specially designed and fabricated cash van--(1) No private security agency shall provide private security or private security guards to a Bank or a cash handling agency for cash transportation

activities, unless such activities are carried out in a secured cash van, which complies with the conditions for design and specifications specified in the First Schedule, owned by it or owned by the Bank or the cash handling agency as the case may be.

(2) No taxi or hired vehicle shall be used for cash transportation activities by the private security agency:

Provided that a vehicle which is on long term contract with the private security agency or Bank or cash handling agency and the vehicle complies with the conditions for design and specification laid down under sub-rule (1) may be used by the private security agency:

Provided further that in case of any remote location where private security agencies are not present and not serviced by a currency chest, any vehicle at such location may be used as an exception under the strict security control and support of the local police.

- 5. Requisite number of trained staff per cash van--(1) The private security agency shall provide the private security for the cash transportation activities with the requisite number or trained staff, directly appointed or engaged by the private security agency, as specified in sub-rule (2).
 - (2) Every cash van shall have the following minimum staff, possesing the qualifications and training laid down under section 10 of the Act, on board for every single cash transportation activities, namely:
 - (i) Driver--one
 - (ii) Armed security guards two, and
 - (iii) ATM Officer or custodian- two.
 - (3) The cash van shall always be escorted by at least two trained armed security guards on board:

Provided that more than two armed security guard may be deputed on a cash van depending on the amount of cash carried and in accordance with the individual company's insurance guidelines or client contract or terrain of operation.

- (4) Where the cash van is a medium motor vehicle, one armed guard shall sit in the front along with the driver and another in the rear portion of the van and while in transit, loading or unloading, nature's call, tea or lunch break, at least one armed security guard shall remain pesent with the cash van all the time.
- (5) Notwithstanding any other provision in these rules, the ex-serviceman, otherwise eligible, may preferably be appointed or engaged by the private security agency for providing security for cash transportation activities.
- 6. Antecedent check of personnel—(1) No private security agency shall appoint or engage or deploy any personnel for the cash transportation activities, unless such personnel has undergone thorough antecedent check and his proper KYC verification and police verification is done, before appointing or engaging or deploying them by the agency, in accordance with the provisions of the Act or any other law for the time being in force.

Explanation --

For the purposes of this sub-rule, the expression "KYC" means to know your customer process of an agency or business identifying and verifying the identity of its clients or person associated or to be associated with the agency or business.

- (2) Every private security agency shall be responsible to comply with the following checks before an individual is appointed or engaged to participate in cash transportation activities, namely:
 - (a) police clearance certificate—every individual shall obtain the police clearance certificate from his local police station before appointment or engagement;
 - (b) residence verification—the private security agency shall use its own resources to conduct a physical verification of the residential address of every individual, including general conduct check and the individual shall furnish to the security agency the proof of residential address of a least three years before appointment or engagement to the cash transportation activities;
 - (c) previous employer check—the private security agency shall use its own resources to conduct reference check with previous employers of the individual, if any;
 - (d) Aadhaar verification--each individual appointed or engaged for the cash transportation activities shall be antecedent verified through Aadhaar number from the Unique Identification Authority of India;
 - (e) credit history check--the private security agency shall conduct a credit history check of every individual appointed or engaged to ensure that wilfull credit defaulters are not appointed or engaged for the cash transportation activities;
 - (f) fidelity insurance—the private security agency shall obtain a fidelity insurance in respect of every personnel appointed or engaged for the cash transportation activities;
- 7. Adequate training and certification of personnel--The private security agency shall ensure that every personnel appointed or engaged for cash transportation activities shall be imparted,-
 - (a) the training and certified for the security and safe handling of such activities as per the requirements of training laid down in the second Schedule;
 - (b) the refresher training once in every two years.
- 8. Live GPS tracking of cash van during operation--(1) Every cash transportation activities shall be carried out only in secured cash vans fitted with GPS tracking device.

Explanation--

For the purposes of this sub-rule, the expression "GPS" means the global positioning system which is a space based navigation system that provides location and time information in all weather condition, anywhere on or near the Earth where there is an unobstructed line of sight to four or more GPS satellites.

- (2) The private security agency shall ensure that each cash van shall be monitored at all time during cash transportation activities through a redundant communications protocol.
- 9. Guideline for maximum cash carrying limit in a single cash van--(1) The private security agency involved in cash transportation activities shall ensure that no cash van carries cash of more than five crores rupees per trip.
 - (2) The private security agency shall ensure that secured cash van shall be deployed for carrying cash of more than ten lakh rupees per trip.
- 10. Specification for private cash vaults used for holding and overnight vaulting of Bank currency—The private security agency shall ensure that all cash handling including counting, sorting, and

bundling activities shall be carried out in secured premises in accordance with the following guidelines, namely:

- (a) Location of private cash vault premises- the premises used for cash handling activities shall be located to ensure safety of activities/operations including areas closer to bank's cash withdrawal centre or police station and secluded areas with poor connectivity be avoided;
- (b) Design of premises- the premises shall be designed to include two physically independent areas one for general office purpose and other for secured cash processing and handling activities and it shall accommodate space for cash deposit, collection, sorting, counting and delivery and dispatch of cash on secured cash vans;
- (c) Cash vault- a secured area shall be designed to store cash to meet with the requirement of the Reserve Bank of India specified for cash vaults in accordance with the following specifications, namely:
 - (i) in smaller cities with limited overnight vaulting requirements of less than ten crore rupees, a strong room with defender safes;
 - (ii) at operation centres with overnight vaulting requirements between ten to one hundred crore rupees, vaulting facility as per the norms of the Reserve Bank of India specified for C Class vaults,
 - (iii) at large operation centres with overnight vaulting requirements of more than one hundred crore rupees, increased vaulting facility in consultation with the concerned Bank, and
 - (iv) all overnight vaulting facilities shall have provision to store currency of multiple Banks in separate and exclusive bins;
- (d) Security of cash vault--the private security agency shall ensure the following security aspects at its cash vault used for secured handling of cash on behalf of the Bank, namely:
 - (i) adequate number of armed private security guards are deputed round the clock;
 - (ii) premises is under 24 x 7 electronic surveillance and monitoring;
 - (iii) cash vault is provided with CCTV, system with adequate number of camperas having at least ninety days recording facility;
 - (iv) the activities at cash vault is undertaken under dual custody basis;
 - (v) the main cash vault area complies with all safety norms like firefighting systems, smoke detection systems, emergency lighting, control room for monitoring the movements of vehicles, auto-dialer and burglar security systems;
 - (vi) security alarm with GSM based auto dialer, fire and magnetic sensor are installed;
 - (vii) the loading and unloading area of cash is covered by night vision CCTV cameras;
 - (viii) electric power supply inside the cash vault is provided through plug-in, plug-out system;
 - (ix) carrying of naked light inside the cash vault is strictly prohibited and dry battery operated torches or emergency lights are used inside strong rooms;
 - (x) emergency lighting with the help of inverter shall always be available to the security staff, and
 - (xi) cash processing and vault areas shall have restricted and controlled access, preferably through interlocking systems and frisking.

Explanation --

For the purpose of this rule, the expression "CCTV" means the closed circuit television which is a self-contained surveillance system comprising cameras, recorders and displays for monitoring activities in a store or company.

- 11. Measures for risk mitigation--(1) The private security agency shall ensure that the ATM under its security shall be fitted with one time electronic combination locks for reducing the instances of crew pilferage losses and ATM frauds.
 - (2) The cash for loading to in an ATM machine shall be collected from the Bank on previous day or in the first half of the day so that operations can be concluded before the time stipulated in sub-rule (3).
 - (3) No cash loading of the ATMs or cash transportation activities shall be done-
 - (a) after 9 P.M. in urban areas;
 - (b) after 6 P.M. in rural areas, and
 - (c) before 9 A.M. or after 4 P.M. in the districts notified by the Central Government as Left Wing Extremism (LWE) affected areas.

The First Schedule

[See Rule 4(1)]

Design and specification for secured cash vans

(a) Make-

The cash van shall-

- [i] be a Light Commercial Vehicle, with an engine capacity of not less than 2200 CC, preferably turbo charged;
- [ii] be not more than seven years old;
- [iii] have tubeless tyres;
- [iv] have a ground clearance of not less than 190 mm., and
- [v] accommodate minimum of five passengers.

(b) Layout-

The cash van shall have the compartment for storing cash, physically separated and locked from the passenger compartment unit.

- (c) Cash Compartment Security-
 - [i] The cash compartment should be inaccessible from outside the van unless operated internally through manual or electronic lock and cash compartment is specially reinforced with only one door and grill gate.
 - [ii] the entrance of the cash compartment shall be from the rear side to ensure proper visibility, operational feasibility and CCTV surveillance.
 - [iii] all windows and wind screen shall have wire mesh protection of not more than one square inch and each window mesh shall have a circular port hole of six inches diameter for use of weapons.
 - [iv] the panic switches for operating the hooter area vailable with the driver and other occupants.

(d) Cash Box Security-

Each of the cash boxes shall be secured to the floor with separate chains and have locks that can be opened or locked only by using separate keys kept with different custodians and cash

for each bank shall be carried, preferably in a separate box with the name of the bank written on it.

- (e) Other Security Features-
 - [i] The cash van shall be provided with a small CCTV, system with at least five days recording facility and three cameras installed in front, rear and inside of the cabin.
 - [ii] A security alarm with GSM based auto-dialer shall be provided with a motorised siren.
 - [iii] The cash van shall be equipped with hooter, fire extinguishers and emergency lights to ensure quick reaction in case of an attack.

The Second Schedule

[See Rule 7(a)]

Training for Personnel Appointed Engaged in Cash Transportation Activities

- (a) Basics of cash handling and cash Transportation Activities -
 - [i] Scope of service
 - [ii] Team composition
 - [iii] Role of driver, armed guard, cash custodian
 - [iv] Functioning of cash vans
 - [v] Contact details of concerned agencies
 - [vi] Threat and risks involved
 - [vii] Reporting procedure
- (b) Threat and risks-
 - [i] Criminal and miscreant action
 - [ii] Tailing by vehicle-borne criminals
 - [iii] Specific threats to stationary and moving vehicle
 - [iv] Insider's threat
 - [v] Fraudulent practices by team members
 - [vi] Loss of life and medical emergency
 - [vii] Road accident and vehicle breakdown
 - [viii] Fire accident
- (c) Safety and security of cash van-

In-built safety features of the cash van carrying cash and valuables-

- [i] Cash boxed for carrying cash and valuables
- [ii] Locking and security systems
- [iii] Weapons and ammunition
- [iv] Communication equipment
- [v] Global Positioning System
- [vi] Fire extinguishers
- [vii] Distress alarm
- [viii] First-aid kit
- (d) Agencies-
 - [i] Controlling Authority under the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005).
 - [ii] Police Station, PCR vans, police helpline

- [iii] Controlling supervisor and operations manager
- [iv] Concerned Bank representative
- [v] Ambulance and hospital service
- (e) Weapons, ammunition and documents-
 - [i] Minimum 12 bore DBBL shot gun should be provided to the guards, Gun must be test fired at least once in two years. Gun cartiridges must be replaced once in 02 years. Gun must be checked and certified by a Government approved armourer.
 - [ii] Documents- gun licence, identity card and permission to carry weapon during restrictions imposed by authorities
 - [iii] Real weapons carried by miscreants
 - [iv] Other objects which can be used as weapon by miscreants
- (f) Emergency and incident response-
 - [i] Distress alarm procedure
 - [ii] Seeking help from concerned agencies
 - [iii] Use of weapon to deter and resist criminals and miscreants
 - [iv] Ensure safety of team members and consignment
 - [v] Disengage from situation and drive vehicle to safety
 - [vi] Evacuation of the injured
- (g) Other internal organisational procedures-
 - [i] Antecedent check procedure
 - [ii] The Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) and benefits
 - [iii] The Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and benefits
 - [iv] The Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and benefits
 - [v] Leave entitlement and application procedure
 - [vi] Other company rules
 - [vii] Obligations as employee

C. M. J. J.

By order,
AWANISH KUMAR AWASHTHI,
Additional Chief Secretary,
Home Department,
Government of Uttar Pradesh.

पी०एस०यू०पी०–16 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2020 ई०।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।